बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद

संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद

कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक– 11 दिनांक 17/4/2007

सेवा में,

आयुक्त एंव सचिव,
गृह विभाग, बिहार, पटना ।

सचिव,
कार्मिक एंव प्रशासनिक सुधार विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः– श्री अशोक कुमार पाल, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेलसंड (सीतामढ़ी) व आरक्षी अधीक्षक, सीतामढ़ी द्वारा गैर–कानूनी रूप से गिरफ्तार करने एंव दो पत्रकारों के द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

संघ को सीतामढ़ी से यह सूचना मिली है कि श्री अशोक कुमार पाल, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेलसंड (सीतामढ़ी) के साथ दो पत्रकारों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया एंव आरक्षी अधीक्षक, सीतामढ़ी द्वारा गैर–कानूनी ढंग से उन्हें हिरासत में ले स्थानीय थाना प्रभारी को सुपुर्द किया गया जबकि हिरासत में लिये जाने के समय तक उनके विरूद्ध कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं है। था।

इस परिपेक्ष्य में यह बतलाना समीचीन होगा कि व्यक्तिगत द्वेष के चलते कुछ लोगों ने श्री पाल के विरूद्ध स्थानीय न्यायालय में परिवाद पत्र के माध्यम से मुकदम दायर किया था और इसी क्रम में उनके साथ यह घटना घटी। संघ की स्थानीय जिला कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही एंव श्री पाल द्वारा दायर किये गये परिव पत्र की छाया–प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

"संघ का यह मानना है कि इस प्रकार के घटनाओं से पदाधिकारियों का मनोबल गिरा है और आम लोगों में उनकी छवि खराब हुई है जिसका असर उनके कार्य पर पड़ता है। अतः संघ मांग करती है कि :–

1– आरक्षी अधीक्षक, सीतामढ़ी पर रौंगफूल कन्फाईन्मेंट (Wrongful

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-1

(पंजीयन-633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद

संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद

कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक-

दिनांक..............................

Confinement] किये जाने के विन्दु पर स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुये आवश्यक कार्रवाई किया जाय ।

2- दुर्व्यवहार एंव लूट-पाट करने वाले पत्रकारों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु श्री पाल को विशेष लोक अभियोजक [illegible] की जाय ।

[विपिन कुमार सिंहा]
महासचिव
17/4/07

[कृष्ण मुरारी शर्मा]
अध्यक्ष ।
17/4/07